

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 115/2024

GCMS NO- 2024/585

उनवान - कैलाश चन्द्र आदि बनाम सरकार


अधिवक्ता प्रार्थी - रामनरेशसिंह सैनी

आदेश

निर्णय दिनांक

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (कैलाशचन्द्र), परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड जन आधार कार्ड, तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./280 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तातीजा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 140 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	तातीजा	खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर 1015, 1016, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 किता 11 कुल रकबा 1.87 है.	कैलाश पुत्र रडमल थावरमल पुत्र रडमल	कैलाश चंद पुत्र माधा राम थावरमल पुत्र माधा राम


(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

क्रमांक :- राजस्व/2015/383
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18.11.2025

- तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी कैलाश चंद, थावरमल पुत्र माधा राम जाति मेधवाल निवासी तातीजा को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी

